


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या2376 / 2016जिला.....जयपुर.....

उनवान - गीतू गोलानी पत्नी श्री नरेश गोलानी जयपुर बनाम राजस्थान सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.07.2017	<p align="center">एकलपीठ श्री राजीव चौधरी-सदस्य</p> <p>पत्रावली पेश हुई। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।</p> <p>निगरानीकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि वह राजस्थान सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ लेते हुए बकाया/कमी मुद्रांक राशि जमा करा दी गई है एवं उक्त निगरानी को आगे नहीं चलाना चाहता है इसी स्तर पर विद्वान करना चाहते है।</p> <p>उक्त प्रकरण को विद्वानो किए जाने में राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक को कोई आपत्ति नहीं है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण को जरिये विद्वान खारिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p align="right">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </p>	